न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

अपील संख्याः 174/2023 GCMS No.—2023/517

रामअवतार मीणा पुत्र स्व. श्री कल्याण मीणा जाति मीणा, निवासी ग्राम नोन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती तारा देवी पुत्री गणेशी जाति मीणा
2 प्रभुदयाल पुत्र गणेशी जाति मीणा
3 प्रेम देवी पुत्री गणेशी जाति मीणा
4 लालाराम पुत्र मंगलाराम जाति मीणा
5 हनुमान सहाय पुत्र गणेशी जाति मीणा
निवासीगण अखेपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6 तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.11.2021(11.11.2021) नामान्तकरण संख्या 264 द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर (प्रशासन गांवो के संग अभियान सन् 2021) के विरूद्ध अपील प्रतिवेदन

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुबोध कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 06.02.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 15.11.2021 जिससे नामान्तरकरण संख्या 264 वाके ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 29.12.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार शर्मा अधिवक्तार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 6 की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तहसीलदार जमवारामगढ से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात की खातेदार गणेशी पत्नी श्री लालाराम के फौत होने पर मुताबिक शपथ पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर तहसीलदार जमवारामगढ ने दिनांक 15.11.2021 को रेस्पा0 के पक्ष में पैतृक सम्पत्ति जो मूल रूप से अपीलांट के पिता स्व. कल्याण मीणा के नाम से थी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। ग्राम राहोरी तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2.56 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का हिस्सा 1/24 व रेस्पाडेन्ट 1 लगायत 3 व 5 की माता गणेशी देवी व रेस्पा0 संख्या 4 की पत्नी गणेशी देवी व अन्य का हिस्सा 1/24 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं खाता संख्या 76 के निहित भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 3.54 हैक्टेयर में अपीलांट का हिस्सा 1/45 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं रेस्पा0 के पूर्वज गणेश देवी का हिस्सा भी 1/45 दर्ज है। अपीलाधीन कृषि भूमि स्व0 कल्याण से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति है और मीणा जाति की पैतृक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

सम्पत्ति के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिए पैतृक सम्पत्ति में खातेदार की पुत्री के पति व संतानो का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। उक्त तथ्यों को देखे बगैर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्व0 कल्याण के वारिसान को नामान्तकरण की कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं दिया। स्व0 कल्याण का देहान्त दिनांक 14.10.2007 को हो गया था उनकी मृत्यु उपरान्त न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0 कम 2 जयपुर में आदेश दिनांक 21.02.2015 द्वारा अपीलांट को स्व0 कल्याण व केसर देवी का दत्तक पुत्र मानकर दत्तक के आधार पर स्व0 कल्याण व केसर देवी की समस्त चल अचल सम्पत्ति में बतौर पुत्र के समस्त हक अधिकार दिये गये थे। ऐसी स्थिति में दीवानी न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2015 के विपरीत जाकर नामान्तकरण आदेश पारित कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने का अधिकार तहसीलदार महोदय को नहीं था। विवादित सम्पत्ति का नामान्तकरण स्व0 कल्याण पुत्र नानगराम मीणा की पुत्री गणेशी के नाम नामान्तकरण स्व. कल्याण की पुत्री होने के नाते खोला गया और श्रीमती गणेशी के देहान्त होने पर स्व. कल्याण से प्राप्त पैतृक सम्पत्त में श्रीमती गणेशी पुत्री कल्याण को खातेदारी अधिकार पैतृक सम्पत्ति के आधार पर दिया गया था जो अधिकार मात्र विरासत के आधार पर गणेशी को प्राप्त हुये थे। गणेशी अनुसूचित जनजाति की महिला होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्ततु किय है जिसमें दिनांक 22.11.2021 को टी.आई प्रार्थना पत्र संख्या 137/2021 पर नामान्तकरण नहीं खोलने वादग्रस्त आराजीयात से वादी के कब्जेकाश्त में मजाहमद पैदा नहीं करने, बेदखल नहीं करने, निर्माण नहीं करने राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में आदेश पारित किये गये। इसलिए अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 15.11.2021 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत के आधार पर तस्दीक हुआ है। अपीलाधीन नामान्तकरण की खातेदार गणेशी देवी थी एवं गणेशी देवी के वारिसान के नाम से नामान्तकरण तस्दीक हुआ जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गयी है। स्व. कल्याण की सम्पत्ति में अपीलांट को पृथक से खातेदारी भूमि प्रदान कर की गयी है इसलिए अपील अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार अपील पेश की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा मुताबिक विरासत एवं तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक किया है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन मूल नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 264 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक खातेदार गणेशी पुत्री कल्याण के फौत होने पर तहसीलदार आमेर द्वारा भेजे गये वारिसानों की सजरा रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के हक में दर्ज किया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 15.11.2021 को स्वीकार किया गया। अपीलांट के हक में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.02.2015 द्वारा अपीलांट को स्व0 कल्याण एवं केसर देवी की चल व अचल सम्पत्ति में बतौर पुत्र हक व अधिकार प्राप्त हुए है। जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजीयात में अपीलांट का हिस्सा भी वर्तमान में निहित होने का अपील मीमों में कथन किया है एवं अपीलांट द्वारा प्रकरण में अनुसूचित जनजाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने का कथन किया है। जिस संबंध में कानूनी दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 6091/2022 में पारित निर्णय 09.12.2022 का अध्ययन किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उत्तराधिकार के बिन्दु पर आदिवासी महिलाओ के हक, अधिकार आदिवासी पुरूष के समान माना है। रेस्पाडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलो एवं कानूनी दृष्टांत के आधार वर्तमान परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति में भी पुत्रियों के हक अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपीलाधीन प्रकरण में गणेशी पुत्री कल्याण की खातेदारी भूमि थी जिसके फौत होने पर गणेशी के वारिसानों के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु है यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की घोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश भी अपीलाधीन आराजीयात पर रहा है तो अपीलांट को संबंधित न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)